न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 34/2019 जिला–दौसा।

पीठासीन अधिकारी– श्री बाबूलाल गोयल।

1. केशा पुत्र नारायण
2. गौरा पत्नि नारायण
3. छोटया पुत्री मंगला
4. पून्या पुत्र बुद्धा
5. बाबूलाल पुत्र रामसहाय
   जाति माली निवासी ऊन बडा गांव तह0 बसवा जिला दौसा।

अपीलान्टस्

बनाम

1. नरेश कुमार पुत्र बाबूलाल जाति बैरवा निवासी वार्ड नं0 03 गोठवाल कृषि फार्म हाउस कुटी बांदीकुई तहसील बसवा।
2. सुनील कुमार पुत्र प्रभूलाल जाति बलाई निवासी 6/233 विधाधर नगर, जयपुर
3. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार बसवा।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा दिनांक 20.06.2019 अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री अशोक कुमार जोशी।
2. वकील रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 एवं 02 श्री दिलीप कुमार वर्मा।

निर्णय

दिनांक 17.08.2021

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा के निर्णय दिनांक 20.06.2019 के खिलाफ प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी के साथ दिनांक 01.10.2019 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 एवं 02 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम बाबत कराये जाने पत्थरगढी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बांदीकुई जिला दौसा के समक्ष प्रस्तुत किया कि उनकी खातेदारी भूमि खतौनी संख्या नया 158 व पुराना 149 के आराजी खसरा नम्बर 1070, 1071, 1073 कुल किता 3 रकबा 0.54 है0 व खतौनी संख्या नया 157 व पुराना 148 के आराजी खसरा नम्बर 1068 रकबा 1.26 है0 वाके ग्राम उनबडागांव तहसील बसवा जिला दौसा में स्थित है। दिनांक 19.11.2018 को उक्त भूमि की मौके पर पैमाईस हो चुकी है किन्तु पडौसी खातेदार से उक्त भूमि को लेकर विवाद रहता है। अतः पत्थरगढी कराये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें ।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 एवं 02 के प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बांदीकुई जिला दौसा द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.06.2019 पारित कर विवादित आराजी की पत्थरगढी उपतहसीलदार बांदीकुई के आदेश कमांक 511 दिनांक 14.06.2021 की अनुपालना में पटवारी हल्का उनबडागांव द्वारा दिनांक 19.11.2018 किये गये सीमाज्ञान के मुताबिक कराई जाने हेतु तहसीलदार बसवा को आदेश प्रदान किये गये।
4. न्यायायल उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा के उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलान्टस् द्वारायह अपील प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.06.2019 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

5. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पॉडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

6. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 1068 पर रेस्पोडेंट्स का कभी कोई कब्जा नही रहा बल्कि अपीलांट्स का कब्जा बुजुर्गान के समय से चला आ रहा है। रेस्पोडेंट संख्या 01 एव 02 ने अपीलांट्स को पक्षकार नही बनाया और ना ही अपीलांट्स को अपना पक्ष पेश करने का मौका मिला। रेस्पोडेंट्स संख्या 01 एवं 02 ने अपने प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 02 में यह तथ्य अंकित किया है कि भूमि के सीमा संबधी विवाद पडौसी काश्तकार से रहता है इसके बावजूद भी रेस्पोडेंट्स संख्या 01 एवं 02 ने पडौसी काश्तकारो को पक्षकार नही बनाया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में दिनांक 19.11.2018 के सीमाज्ञान के संबंध में जो कथन अंकित किया है वह गलत है क्योकि अपीलांट्स की मौजूदगी में विवादित भूमि का कभी कोई सीमाज्ञान नही किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार बसवा का जवाब नही लिया तथा सीधे ही निर्णय पारित कर दिया जो कानूनी गलत है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय के सहज एव प्राकृतिक नियमो के प्रतीकुल होने से निरस्तनीय है। अपीलांट्स का कथन है कि प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं धारा 96 सी.पी.सी. को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जावे तथा विलम्ब के संबंध में लचिला रूख अपनाते हुये विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील अपीलांट्स् स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन दिनांक 20.06.2019 निरस्त फरमाया जावे।

7. रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 एवं 02 के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील के तथ्यो का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट्स विवादित भूमि खतौनी संख्या नया 158 व पुराना 149 के आराजी खसरा नम्बर 1070, 1071, 1073 कुल किता 3 रकबा 0.54 है0 व खतौनी संख्या नया 157 व पुराना 148 के आराजी खसरा नम्बर 1068 रकबा 1.26 है0 वाके ग्राम उनवडागांव तहसील बसवा जिला दौसा के खातेदार है और अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी कराने के विधिक अधिकारी हैं। अपीलान्ट्स विवादित भूमि के खातेदार नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट्स के प्रार्थना पत्र पर अपीलाधीन आदेश पारित कर विवादित आराजी की पत्थरगढी उपतहसीलदार बांदीकुई के आदेश कमांक 511 दिनांक 14.06.2021 की अनुपालना में पटवारी हल्का उनवडागांव द्वारा दिनांक 19.11.2018 किये गये सीमाज्ञान के मुताबिक कराई जाने हेतु तहसीलदार बसवा जिला दौसा को आदेश प्रदान किये हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिसम्मत है एवं अपील अपीलांट्स सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज की जावे ।

8. मैंने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । सर्वप्रथम प्रकरण के गुणावगुण व तथ्यों एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये विलम्ब के संबंध में लचिला रूख अपनाते हुये दोनों प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाकर अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जाती है एवं अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है। प्रकरण में पक्षकारों के मध्य विवादित भूमि के पत्थरगढी कराने के संबंध मे विवाद है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रतित होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 एवं 02 के द्वारा अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1070, 1071, 1073 कुल किता 3 रकबा 0.54 है0 व खसरा नम्बर 1068 रकबा 1.26 है0 वाके ग्राम उनवडागांव तहसील बसवा जिला दौसा की पत्थरगढी कराने बावत प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित कर विवादित आराजी की पत्थरगढी उपतहसीलदार बांदीकुई के आदेश कमांक 511 दिनांक 14.06.2018 की अनुपालना में पटवारी हल्का उनवडागांव द्वारा दिनांक 19.11.2018 किये गये सीमाज्ञान के मुताबिक कराई जाने हेतु तहसीलदार बसवा को आदेश प्रदान किया है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

9. हम समझते हैं कि विवादित भूमि का सीमाज्ञान उपतहसीलदार बांदीकुई के आदेश कमांक 511 दिनांक 14.06.2018 की पालना में पटवारी हल्का उनवडागांव के द्वारा खसरा नम्बर 1072, 537 गै0 मु0 चाह को मुस्तकिल बिना मानकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 1070, 1071, 1073 कुल किता 3 रकबा 0.54 है0 व खसरा नम्बर 1068 रकबा 1.26 है0 की सीमाज्ञान की जाकर निशान देही दिनांक 19.11.2018 को की गई थी। जिस भूमि का सीमाज्ञान किया गया था वह अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि नहीं है। रेस्पोंडेन्ट्स की प्रश्नगत भूमि का सीमाज्ञान किया गया था। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम समझते हैं कि प्रकरण में पूर्व में रेस्पोंडेन्ट्स की प्रश्नगत भूमि का सीमाज्ञान होने के कारण रेस्पोंडेन्ट्स के प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.06.2019 पारित कर प्रश्नगत आराजी की पत्थरगढी उपतहसीलदार बांदीकुई की पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 19.11.2018 के मुताबिक कराई जावे हेतु तहसीलदार, बसवा को आदेश प्रदान किये है जो उचित एवं विधिसम्यक है। हम अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वांदीकुई जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.06.2019 में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं तथा अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

10. अतः परिणामतः अपील अपीलान्ट्स खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वांदीकुई जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.06.2019 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो।

17/8/2021
(बाबूलाल गोयल)
अति.सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

11. निर्णय आज दिनांक 17.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/8/2021
(बाबूलाल गोयल)
अति.सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner